बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

<u>कार्यालय आदेश</u>

का0आ0सं0- 385671　　　　　　　　दिनांक 24/8/18

ग्रा0वि0- 15 स्वच्छता- 18/2016

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना के कार्यान्वयन हेतु ज्ञापांक 68/सी0 दिनांक 05.08.2016 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं । इस दिशा-निर्देश की कंडिका 9 में प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के वार्ड को खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जाने की शर्त को कार्यालय आदेश सं0- 375971 दिनांक-21.06.2018 द्वारा संशोधित करते हुए 50 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एवं उपयोग किये जाने के उपरान्त प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश संसूचित है ।

2. समीक्षोपरांत प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु आच्छादन की शर्त को अब संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया है कि जिन प्रखंडों में SBM(G) के IMIS के अनुसार 50 (पचास) प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एवं उपयोग किया जा रहा है, उनमें वार्ड स्तर पर लगाये गये 50 प्रतिशत आच्छादन की शर्त को समाप्त किया जाता है। अर्थात उन प्रखंडों में योग्य लाभार्थियों के द्वारा शौचालय निर्माण एवं उपयोग करने के उपरांत नियमानुसार प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ किया जा सकता है। जिन प्रखंडों में आच्छादन 50 प्रतिशत से कम है, उन प्रखंडों में विभागीय ज्ञापांक 375971 दिनांक-21.06.2018 के प्रावधान लागू होंगे ।

24/8/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक 385671　　　　　　　　पटना, दिनांक 24/8/18.

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष/निदेशक, डी.आर.डी.ए.-सह-सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

~~प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।~~

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

24/8/2018

सचिव ।